(9)

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नामः–जाकिर हुसैन, आई.ए.एस.

प्रार्थना पत्र संख्याः–13/2019 (14 सिक्योरिटाइजेशन)

बैंक ऑफ बड़ोदा, शाखा नोहर, जरिये प्राधिकृत अधिकारी

––प्रार्थी/सिक्योर कैडिटर

बनाम

1. मैसर्स करण इलेक्ट्रोनिक्स प्रो. श्री भागचन्द पुत्र श्री हरीचन्द वार्ड नं. 14, नोहर, तहसील–नोहर, जिला–हनुमानगढ़(राज.)

———(अप्रार्थी/ऋणी)

2. श्री हरी सिंह पुत्र श्री फूलसिंह पता–वार्ड नं. 8, नोहर, तहसील नोहर, जिला हनुमानगढ़ (राज.)। ––(गारन्टर)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत –14 सिक्योरिटाइजेशन एण्ड रीकन्स्ट्रक्शन ऑफ फाइनेन्शियल एसेटस एण्ड एनर्फोसमेंट ऑफ सिक्योरिटि इन्टरेस्ट एक्ट, 2002 एतद पश्चात "एक्ट" से संबोधित किया गया है बंधक सम्पति का कब्जा सुपुर्दगी बाबत।

आदेश

दिनांकः–28.03.2019

प्रार्थी बैंक ऑफ बड़ोदा, शाखा नोहर, जिला हनुमानगढ़ की ओर से श्री आर. पी. सिंह वकील उपस्थित आये जिनको सुना गया। बैंक के वकील ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी बैंक ने ऋणी को 8,00,000/–रूपये (अखरे आठ लाख रूपये) की ऋण सुविधा दिनांक 10.06.2016 को उपलब्ध करवाई थी। ऋणी/जमानतदार द्वारा ऋण की ऐवज में अन्य सम्पतियो के साथ श्री भागचन्द पुत्र श्री हरीचन्द की वार्ड नं. 8, नोहर, तहसील–नोहर, जिला– हनुमानगढ़ (राज.) स्थित सम्मत्ति (बैंक में उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार क्षेत्रफल 2142.60 वर्गफीट) को प्रार्थी बैंक के हक में बंधक किया व बंधक विलेख निष्पादित किया था।

अप्रार्थी/ऋणी ने उपलब्ध ऋण को बैंक के नियमानुसार बैंक को नही चुकाया जिसकी वजह से ऋणी का खाता दिनांक 30.09.2018 को एनपीए घोषित कर दिया। ऋणी के खाते में 826789.50/–रूपये दिनांक 29.9.2018 तक ब्याज शामिल करते हुए

जिला मजिस्ट्रेट
हनुमानगढ़

Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner

(3)

तथा इसके आगे का ब्याज व अन्य खर्चे बकाया निकलते है। ऋणी का ऋण खाता एनपीए होने पर एक्ट की धारा 13(2) के अन्तर्गत प्रार्थी बैंक ऑफ बड़ोदा द्वारा ऋणी एवं जमानतदार को दिनांक 09.10.2018 को बकाया ऋण राशि चुकाने हेतु रजिस्टर्ड नोटिस दिये गये। नोटिस प्राप्ति के पश्चात भी अप्रार्थीगण द्वारा सम्पूर्ण ऋण राशि जमा नही करवाई गयी व न ही बंधक शुदा सम्पति का सम्पूर्ण वास्तविक कब्जा प्रार्थी बैंक को दिया गया।

ऋणी व जमानतदार नोटिस के अनुसार 60 दिन के अन्दर–अन्दर 826789.50/–रूपये ऋण राशि दिनांक 29.09.2018 तक ब्याज शामिल करते हुए तथा इसके आगे का ब्याज व अन्य खर्चे जमा कराना था। ऋणी एवं जमानतदार द्वारा ऋण की सम्पूर्ण राशि बैंक को जमा नही करवाई है। उक्त एक्ट के प्रावधानो के अनुसार कब्जा व नीलामी की कार्यवाही करना आवश्यक हो गया है। एक्ट की धारा 14 के प्रावधानो के अन्तर्गत प्रार्थी बैंक को उक्त बंधक सम्पति का वास्तविक कब्जा लेने व कायम रखने में पुलिस की सहायता आवश्यक है। पुलिस सहायता दिलाई जावे।

बैंक ऑफ बडौदा के वकील के कथनों पर मनन किया और पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। ऋणी/जमानतदार द्वारा बैंक को ऋण राशि का भुगतान करने में असफल रहने व समय पर ऋण राशि मय ब्याज अदा नहीं करने पर प्रार्थी बैंक द्वारा अधिनियम की धारा 13 (2) के अन्तर्गत ऋणी/जमानतदार को नोटिस जारी किया जाना पाया गया। इसके पश्चात भी ऋणी/जमानतदार द्वारा ऋण राशि की शर्तों के मुताबिक ऋण राशि का भुगतान बैंक को नहीं करने पर The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 में प्रदत शक्तियों के तहत तथा बैंक ऑफ बड़ौदा के शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए प्रार्थी बैंक ऑफ बडौदा का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। ऋणी/जमानतदार द्वारा उक्त ऋण की सुविधा के एवज में बैंक ऑफ बडौदा के पास श्री भागचन्द पुत्र श्री हरीचन्द की वार्ड नं. 8, नोहर, तहसील–नोहर, जिला– हनुमानगढ़(राज.) स्थित सम्पत्ति (बैंक में उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार क्षेत्रफल 2142.60 वर्गफीट) को प्रार्थी बैंक के हक में बंधक किया जिसका भौतिक कब्जा जरिये पुलिस की सहायता से बैंक ऑफ बडौदा को दिलाये जाने के आदेश दिये जाते है। आदेश की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक हनुमानगढ़ को इस अनुरोध के साथ अग्रेषित की जाती है कि प्रार्थी बैंक ऑफ बडौदा को उक्त सम्पत्ति का कब्जा प्राप्ति हेतु बैंक ऑफ बडौदा द्वारा चाहे अनुसार पुलिस सहायता संबंधित पुलिस थाना के माध्यम से नियमानुसार उपलब्ध करवाई जावे। आदेश की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक हनुमानगढ़ व बैंक ऑफ बडौदा को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली नंबर से कम की जाकर दाखिल दफतर की जावे।

यह आदेश आज दिनांक 28.03.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

जिला मजिस्ट्रेट
हनुमानगढ़

जिला मजिस्ट्रेट
हनुमानगढ़

Web Copy Not Official

Scanned by CamScanner